



जे.पी.आर.5- 821

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302005

फोन नं0 - 0141-2747041, फैक्स नं0 - 0141-2744803

ईमेल - se_comml@yahoo.in

क0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी-1/एफ.4(392)/ प्रे0 1834 जयपुर,

दिनांक-25-11-2016

आदेश

विषय:- कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढ़े हुये भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" की अवधि बढ़ाने बाबत।

कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत रूप से बढ़े हुये भार को नियमित करने हेतु आदेश क्रमांक क0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी-1/एफ.4(392)/प्रे0 1168 जयपुर, दिनांक- 07.09.2016 (जेपीआर 5-807) द्वारा "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" प्रसारित की गई थी। यह योजना दिनांक 30 नवम्बर 2016 तक प्रभावी है।

इस विषय पर विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना को दिनांक 31.12.2016 तक बढ़ाया जाता है। उक्त योजना की सभी शर्तें पूर्व में जारी आदेश के अनुसार ही रहेगी। इसकी सूचना/जानकारी उपभोक्ता को भी दे दी जावे।

आज्ञा से

(के.के. पुरोहित)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)